आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिपाणी तारीख सहित 3

Board of Revenue, Bihar, Patna

Service Appeal Case No.-01 of 2019

Dist.:-Patna

PRESENT :- Sunil Kumar Singh, I.A.S.,
Chairman-Cum-Member.

Sayed Afzal Quadri - Petitioner/ Appellant

Versus

The State of Bihar - Respondent/ Opp. Party

Appearance :

For the Petitioner :
For the OP :

ORDER

19.03.2019

प्रस्तुत सेवा अपील वाद श्री सैयद अफजल कादरी, तत्कानील उर्दू अनुवादक, प्रखण्ड कार्यालय रक्सौल, जिला–पूर्वी चम्पारण सम्प्रति सेवा निवृत्त द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, उर्दू निदेशालय के आदेश सं0– 103 दिनांक– 26.06.2018 सह पठित ज्ञापांक– 644 दिनांक– 26.06.2018 द्वारा अधिरोपित दंड के विरुद्ध दायर किया गया है। श्री सैयद अफजल कादरी के विरुद्ध दिनांक– 06.01.1996 से लगातार 30.09.2006 तक अर्थात श्री कादरी 10 वर्ष 08 माह 24 दिन तक अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में प्रतिवेदित आरोप की विधिवत् जाँच हेतु विभागीय आदेश संख्या– 57, दिनांक– 10.12.2007 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। जिला पदाधिकारी के पत्रांक– 17, दिनांक– 08.02.2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदन में अनाधिकृत अनुपस्थिति का आरोप प्रमाणित पाया गया।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

दिनांक– 06.01.1996 से लगातार 30.09.2006 (10वर्ष 08 माह 24 दिन) तक अनाधिकृत अनुपस्थिति के बाद श्री कांदरी द्वारा दिनांक– 01.10.2006 को दिये गये योगदान को प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत करते हुए पत्रांक– 1051, दिनांक– 06.10.2006 के माध्यम से संसूचित कर दिया गया था। बिहार सेवा संहिता के नियम– 76– 'क' के अनुसार ''***किसी भी सरकारी सेवक को पाँच वर्ष से अधिक के लिए किसी प्रकार की छुट्टी स्वीकृत नहीं की जाएगी।***''

यथास्थिति सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम– 76 के तहत श्री सैयद अफजल कादरी तत्कालीन उर्दू अनुवादक, रक्सौल प्रखंड, पूर्वी चम्पारण की सेवा दिनांक– 06.01.1996 के प्रभाव से समाप्त किया गया।

उर्दू निदेशालय द्वारा भेजे गय मन्तव्य में बताया गया कि यह मामला श्री अफजल कादरी, तत्कालीन उर्दू अनुवादक, रक्सौल, प्रखण्ड पूर्वी चम्पारण से सम्बंधित है। श्री कादरी दिनांक– 31.08.2014 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

श्री कादरी अपने सेवा काल में दिनांक– 06.01.1996 से 30.06.2006 तक अर्थात लगभग दस वर्षो तक लगातार अनाधिकृत रूप से अपने कार्यालय से अनुपस्थित रहे हैं। इसी आरोप में जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक–873, दिनांक– 12.11.2007 द्वारा विभागीय ज्ञापांक–352, दिनांक– 10.12.2007 द्वारा प्राप्त आरोप पत्र को अनुमोदित कर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निदेश जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को दिया गया।

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

विभागीय स्मार-पत्र संख्या-560, दिनांक- 07.10.2015 के आलोक में जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक-17, दिनांक- 08.02.2016 द्वारा, निदेशालय को जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जाँच प्रतिवेदन में श्री कादरी को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की बात कही गयी है।

जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद, बिहार सी0सी0ए0 रूल्स, 2005 के संगत नियम के आलोक में श्री कादरी से द्वितीय कारण पृच्छा की जानी चाहिए थी। परन्तु, प्रक्रियागत भूलवश ऐसा नहीं किया जा सका।

लगभग दस वर्षो तक लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श से बिहार सेवा संहिता के नियम-76 के तहत विभागीय आदेश संख्या-644, दिनांक- 26.06.2018 द्वारा श्री कादरी की सेवा भूतलक्षी (दिनांक- 06.01.1996) प्रभाव से बर्खास्त किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग का परामर्श निम्नवत् हैः-

"............ चूँकि प्रशासी विभागीय/कार्यालय द्वारा श्री कादरी का दिनांक- 01.10.2006 को दिया गया योगदान, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पत्रांक- 1051 दिनांक- 06.10.2006 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था, अतः उनकी सेवा दिनांक- 06.01.1996 (उनके अनाधिकृत अवकाश पर जाने की तिथि) के भूतलक्षी प्रभाव से समाप्त किये जाने में कोई कठिनाई नहीं है। बिहार सेवा संहिता के नियम- 76 के तहत किसी भी कर्मी की सेवा भूतलक्षी प्रभाव से ही समाप्त की जाती है। क्योंकि उसके विरुद्ध कार्यवाही ही पाँच वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद की जाती है।"

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

उल्लेखनीय है कि नियमानुसार किसी आरोप प्रमाणित होने पर सरकारी सेवक को उसकी सेवानिवृति के बाद भूतलक्षी प्रभाव से बखार्स्तगी के बजाय बिहार पेंशन नियमावली के नियम– 43 (बी) के तहत कार्रवाई अपेक्षित है।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, रक्सौल के पत्रांक– 7238, दिनांक– 14.02.2019 के साथ प्राप्त कागजात से ज्ञात होता है कि –

(i) महालेखाकार का कार्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक/दिनांक– 01.09.2016 के द्वारा पी0पी0ओ0 नं0–201611072398 के तहत श्री कादरी प्रति माह 3,500/– रुपये पेंशन के रुप में प्राप्त कर रहे हैं।

(ii) महालेखाकार का कार्यालय, बिहार, पटना के पत्रांक/दिनांक– 31.08.2016 के तहत श्री कादरी उपादान के रुप में 74,003/– रुपये प्राप्त कर चुके हैं।

(iii) प्रखंड कार्यालय, रक्सौल, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक– 1151, दिनांक– 22.09.2016 के अनुसार औपबंधिक पेंशन के रुप में श्री कादरी 80,178/– रुपये प्राप्त कर चुके हैं।

(iv) प्रखंड विकास पदाधिकारी, रक्सौल, पूर्वी चम्पारण के ज्ञापांक–2065, दिनांक– 13.11.2014 द्वारा अनिवार्य ग्रुप बीमा (सूद सहित) के रुप में श्री कादरी कुल– 1,49,109/– रुपये प्राप्त कर चुके हैं।

अपीलार्थी द्वारा समर्पित न्यायादेश की प्रति "माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***सिविल अपील नं0– 5848–49/2014 श्री देव प्रसाद तिवारी बनाम यूपी को–ऑपरेटिव इंस्टीच्यूशनल सर्विस बोर्ड, लखनऊ एवं अन्य*** में पारित न्यायादेश के संबंध में उल्लेखनीय है कि आवेदक

19/3/19

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	के विरुद्ध उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव इम्पलाइज सर्विस रेगूलेशन, 1975 के नियम- 85 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी। विभागीय कार्यवाही के अंत में उन्हें सेवा से बर्खास्त किया गया था। इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस आधार पर आवेदक को बर्खास्तगी अवधि के वेतन सहित सेवांत लाभ का भुगतान करने का न्यायादेश पारित किया गया था कि ***यूपी को-ऑपरेटिव इंस्टीच्यूशनल सर्विस बोर्ड,*** लखनऊ द्वारा अपने कर्मियों की सेवानिवृति/बर्खास्तगी की स्थिति में अग्रतर कार्रवाई हेतु कोई नियमावली गठित नहीं थी। परन्तु, बिहार सरकार के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के विरुद्ध आरोप लंबित रहने की स्थिति में सेवानिवृति के पश्चात् मामले पर सुनवाई के लिए बिहार पेंशन नियमावली मौजूद है। ऐसी स्थिति में श्री कादरी के मामले पर यथास्थिति बिहार पेंशन नियमावली के संगत नियम के तहत विचार किया जाना है।'' आवेदक द्वारा न्यायादेश की प्रति समर्पित किया गया एवं आदेश को गलत बताया गया। संचालन पदाधिकारी के मंतव्य निम्न प्रकार है- ***''अतः उक्त उपस्थापन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी, रक्सौल के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं श्री कादरी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण पर एवं सुनवाई एवं जाँच के दौरान पाई गई जानकारी के आलोक में अस्वस्था का प्रमाण पत्र सही पाये जाने के स्थिति में श्री सैयद अफजल कादरी, उर्दू अनुवादक की अनुपस्थिति अवधि का NO WORK NO PAY एवं सेवा में टूट मानते हुए उनके दोष के लिए सभी वेतन वृद्धि को समाप्त करते हुए मूल वेतन पर योगदान एवं विभागीय कार्यवाही समाप्त करने की अनुशंसा की जाती है।''***	

Aw
19/2/19

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3

सभी पक्षों को सुनने एवं अभिलेख के परीक्षण के पश्चात् दंडादेश में निम्नांकित त्रुटियाँ स्पष्ट रुप से परिलक्षित होती है–

1– सेवा से बर्खास्तगी का दंड Retrospective effect से नहीं दिया जा सकता है।

2– सेवा निवृत्ति के पश्चात् कार्रवाई बिहार पेंशन नियमावली के संगत नियमों के तहत नहीं की गई।

3– बर्खास्तगी का दंड देने के पूर्व द्वितीय कारण पृच्छा नहीं पूछा गया।

4– संचालन पदाधिकारी के अनुशंसा के विपरीत आदेश बिना किसी Reason को अंकित किये हुए पारित किया गया।

अतः इस वाद को अनुशासनिक प्राधिकार को Remand किया जाता है कि वह इस मामले में विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित करें।

लेखापित एवं संशोधित

19/3/19 (sd/-)

(सुनिल कुमार सिंह)
अध्यक्ष–सह–सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार।

19/3/19 (sd/-)

(सुनिल कुमार सिंह)
अध्यक्ष–सह–सदस्य,
राजस्व पर्षद, बिहार।